बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 89/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – माडल संत जेवियर जूनियर स्कूल जक्कनपुर, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – लेखा वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग , बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदा0

के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि0 1.04.06 से 30.6.06 पूर्वा0 तक

2. श्री राम सागर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि0 30.6.06 अप0 से दि0 07.07.08 पूर्वा0 तक

3. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि0 07.07.08 अप0 से दि0 31.03.11 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्रीमती गोपा सेन गुप्ता, प्रसाद, प्रधानाध्यापिका

दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.3.07तक

2. श्री प्रमोद कुमार (प्रभारी), सहायक शिक्षक

दिनांक 1.4.07 से दिनांक 21.7.07 तक

3. श्रीमती संजू कुमारी ,प्रधानाध्यापिका
दिनांक 22.7.07 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम एंव पदनाम – श्रीमती संजू कुमारी, प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री अविनाश कुमार ,व0 अं0– 2

2. श्री अजय कुमार , व0 अं0–2

(ग) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 12.09.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 21.09.11

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 9 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

1. अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण

2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एंव तिथि – 3286/15.9.1960

3. कार्यालय का कार्यक्षेत्र –

यह विद्यालय विश्व बुद्ध परिषद नामक संस्था द्वारा संचालित एवं वर्ष 1958 में स्थापित है। यह सामान्य सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है। इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता पद में राशि सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान राशि का अंकेक्षण तथा प्राप्त राशियों का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों से किया गया।

विद्यालय का संचालन, प्रशासन , अनुरक्षण, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं एवं सुविधाओं का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण विद्यालय के प्रबंध समिति द्वारा दिया जाता है।

4. वित्तीय स्त्रोत :– आंवटन /अनुदान – अनुदान, विवरण परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।

5. कोषागार अभिलेख से सत्यापन स्थिति –शून्य ।

6. महालेखाकार का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति :– अनुपालन प्रेषित किया गया है या नही – नही किया गया है।

बार–बार अनुरोध करने पर भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही दिया गया। फलतः अनुपालन से अंकेक्षण दल अनभिज्ञ रहा।

7. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– शून्य

(3) वित्तीय समीक्षा :–

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक निकासी की गई है – नही।
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक व्यय की गई है – नही।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था– नही।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति – आवश्यकता नही थी क्योंकि रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति – शून्य

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बलों का विवरण :–

पदनाम/स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक /कम
प्रधानाध्यापिका/ 01	01	–
सहायक शिक्षक /06	05	1

सहायक शिक्षक एक पद रिक्त पाया गया।

<u>भाग –2</u>

(5) वेतन में महँगाई भत्ता विलय के कारण महं भत्ता +मकान भाड़ा मद में अधिक भुगतान राशि रू0 83000.00 वसूली योग्य :–

शिक्षकों के वेतन मद में भुगतीत राशि के अंकेक्षण में स्पष्ट हुआ कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों को वित्त विभाग के ज्ञापांक 1773 वि0 (2) दिनांक 02.04.05 के निदेश के आलोक में मूल वेतन में 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता का भाग जोड़कर बढ़े हुए कुल वेतन पर अनुमान्य दर से मँहगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता की राशि का भुगतान किया गया था। विदित हो कि यह निदेश सरकारी सेवकों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता की राशि को दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से विलय करने हेतु था। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह लाभ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्या सहित) प्रा0 विद्यालयों के शिक्षकों के लिए देय नही था। इन्ही कारणों से जिला शिक्षा अधीक्षक , जिला पटना ने अपने पत्रांक 7952 दिनांक 17.09.07 द्वारा इस प्रकार के विलय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था। ज्ञातव्य हो

कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला पटना के द्वारा लगाये गये रोक के पूर्व ही कुछ माह तक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा वेतन में 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता की राशि विलय कर बढ़े हुए कुल वेतन पर अनुमान्य दर से मँहगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता का लाभ प्राप्त कर लिया गया था। जिसके कारण कुल रू0 83000.00 का अधिक भुगतान विभिन्न शिक्षकों ने प्राप्त कर लिया था। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि ''विभाग द्वारा अलग से पत्र निर्गत के प्रत्याशा में भुगतान प्राप्त किया गया है, विभाग के निदेशानुसार इस पर उचित कार्रवाई की जायेगी''। अनुपालन से स्पष्ट है कि इस पर विभाग का निदेश मांगा गया है। अधिक भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय स्तर पर इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाये तथा मँहगाई भत्ता+मकान भत्ता मद में अधिक भुगतान राशि रू0 83000.00 संगत व्यक्तियों से वसूल कर उचित शीर्ष में जमा करा दिया जाये। प्राप्त प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाये।

(6) वेतनादि मद में भुगतीत राशि रू0 493269.00 आपत्तिन्तर्गत :–

वेतनादि मद में भुगतान राशि का अंकेक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक के अवधिन्तर्गत में वेतनादि राशि के व्यय रू0 4932601.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को नही भेजा गया था। यह स्थिति बिहार वित्त नियमावली के नियम 340 से 346 के प्रतिकूल है। विशेषतः उक्त नियमावली के नियम 342 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत अनुदानो, अंशदानों एवं विशेष लक्ष्यों की पूर्त्ति हेतु, विशिष्ट नियमों एवं सेवाओं आदि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीदृत्यादेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान देने वाला प्राधिकार महालेखाकार को भेजने की व्यवस्था करायेगें या करेगें।

अतः कुल राशि रू0 4932601.00 जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजा गया है, विवरण परिशिष्ट 'घ' पर अंकित है। अतः राशि रू0 4932601.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को भेजे जाने तक राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। भविष्य में ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इस दिशा में की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाये।

भाग– 3 (सुझावात्मक)

(7) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

1. निरीक्षण संचिका संधारित किया जाये– वित्त विभाग को ज्ञापांक ए0 आर0 – 06–19/53–29 वि0 दिनांक 1.6.53 के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक पंजी संधारित की जाये।

2. रोकड़ बही की त्रुटियाँ – रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी तैयार कर अवश्य अंकित किया जाये तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 (iii) के अनुरूप रोकड़ बही के योग एवं संतुलन की जाँच का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

3. अनुदान प्राप्ति हेतु अलग आगत पंजी संधारित किया जाये विद्यालय द्वारा वेतनादि मद में प्राप्त अनुदान के लिए एक अलग आगत पंजी संधारित किया जाये जिसमें अनुदान प्राप्ति का स्त्रोत, अनुदान का माध्यम (चेक या ड्राफ्ट) का विवरण, प्राप्ति तिथि, अनुदान राशि आदि का उल्लेख किया जाये। इस पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0–2

(2)

" NISHU''

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेख

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. रोकड़ पुस्त (वेतन मद) वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
2. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
3. भविष्य निधि कटौती पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
4. अनुदान चेकों की छाया प्रति वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
5. वेतन पासबुक (शिक्षक) वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
6. शिक्षक उपस्थिति पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
7. छात्र उपस्थिति पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
8. भविष्य निधि पास बुक
9. प्री–पोजीशन स्टेटमेंट
10. नियुक्ति अनुमोदन संचिका
11. विद्यालय आदेश पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–
वर्ष 06–07 से 10–11

1. विद्यालय प्रस्वीहति मूल पत्र
2. स्वीकृत पदों का आदेश पत्र (मूल)
3. स्रकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के रूप में धोषणा पत्र
4. सेवा पुस्त
5. प्रोन्नति, सेवा निवृति से संबंधित संचिका
6. अवकाश लेखा
7. शिक्षकों की वरीयता सूची

परिशिष्ट 'ख'
(कंडिका 1(ठ) iv से संबंधित)
अनुदान प्राप्ति एवं व्यय विवरणी

क्र0 सं0	वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय	आधिक्य	बचत	प्राप्ति का चेक सं0 एवं तिथि, राशि	अभियुक्ति
1	2006–07	वेतन भविष्य निधि	542824.00 15940.00	542824.00 15940.00	–	–	161201 / 22.6.06–449488.00 वेतन 161202 / 22.6.06–13270.00 भविष्य निधि 161242 / 03.11.06– 93336.00 वेतन 161243 / 3.11.06– 2670.00 भविष्य निधि	
2	2007–08	वेतन भविष्य निधि	1196921.00 132296.00	1196921.00 132296.00	–	–	162330 / 05.04.07–750886.00 वेतन 162331 / 05.04.07– 105000.00 भ0 नि0 070964 / 27.4.07– 45358.00 वेतन 070965 / 27.4.07 – 3292.00 भ0 नि0 192508 / 01.10.07– 252077.00 वेतन 192509 / 01.10.07– 11004.00 भ0 नि0 192548 / 20.12.07 – 148600.00 वेतन 192549 / 20.12.07 – 13000.00 भ0 नि0	
3	2008–09	वेतन भविष्य निधि	1155776.00 42100.00	1155776.00 42100.00	–	–	192580 / 8.4.08– 614250.00 वेतन एंव भ0 निधि 092893 / 13.3.09 – 583626.00 वेतन एंव भ0 निधि	
4	2009–10	वेतन भविष्य निधि	787676.00 60000.00	787676.00 60000.00	–	–	329376 / 25.2.10– 704020.00 वेतन एवं भ0 निधि 331001 / 25.3.10– 71828.00 वेतन एवं भ0 निधि 331028 / 25.3.10– 71828.00 वेतन एवं भ0 निधि	
5	2010–11	वेतन भविष्य निधि	935768.00 63300.00	935768.00 63300.00	–	–	437052 / 17.3.11– 913729.00 वेतन एवं भ0 निधि शून्य – 85339.00 वेतन एवं भ0 निधि	
		योग–	4932601.00	4932601.00				

परिशिष्ट 'ग'

कंडिका '5' से सम्बन्धित

मंहगाई भत्ता + मकान भाड़ा भत्ता मद में अधिक भुगतान राशि वसूली योग्य

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम	माह	भुगतीत राशि					भुगतान योग्य राशि				अन्तर राशि			वसूली योग्य	कुल योग
			मूल वेतन	मंह0 वेतन 50 प्रति0	मं0 भत्तर 24प्रति0/ 29 प्रति0	मकान भत्ता 15 प्रति0	कुल	मूल वेतन	मंह0 भत्ता 74प्रति0 / 79 प्रति0	मकान भत्ता 15 प्रति0	कुल	मंह0 भत्ता	मकान भत्ता	योग		17108.00
1	श्रीमती गोपा सेन गुप्ता प्र0	मार्च 06– जून 06 जुलाई 06 से दिस0 06	8150 8150	4075 4075	2934 3545	1834 1834	16993 17604	8150 8150	6031 6439	1223 1223	15404 15812	978 1181	611 611	1589 1792	1589x4=6356.00 1792x6=10752.00	11968.00
2	श्रीमती संजू कुमारी, स0 शि0	मार्च 06– जून 06 जुलाई 06 से दिस0 06	5624 5750	2812 2875	2025 2501	1265 1294	11726 12420	5624 5750	4162 4543	844 863	10630 11156	675 833	421 431	1096 1264	1096x4=4384.00 1264x6=7584.00	11968.00
3	श्रीमती कल्याणी कुमारी , स0 शि0	मार्च 06– जून 06 जुलाई 06 से दिस0 06	5624 5750	2812 2875	2025 2501	1265 1294	11726 12420	5624 5750	4162 4543	844 863	10630 11156	675 833	421 431	1096 1264	1096x4=4384.00 1264x6=7584.00	7920.00

4	श्रीमती कृष्णा कुमारी स0 शि0	मार्च 06– जून 06	3725	1863	1341	838	7767	3725	2757	559	7041	447	279	726	726x4=2904.00	11792.00
		जुलाई 06 से दिस0 06	3800	1900	1653	855	8208	3800	3002	570	7372	551	285	836	836x6=5016.00	
5	श्री ओम प्रकाश शर्मा स0 शि0	मार्च 06	5500	2750	1980	1238	11468	5500	4070	825	10395	660	413	1073	1073x1=1073.00	11792.00
		अप्रैल 06 से जून 06 तक	5625	2813	2025	1266	11729	5625	4163	844	10632	675	422	1097	1097x3=3291.00	
		जुलाई 06 से दिसम्बर 06	5625	2813	2447	1266	12151	5625	4444	844	10913	816	422	1238	1238x6=7428.00	
6	श्रीमती प्रेमशीला कुमारी स0 शि0	मार्च 06	5500	2750	1980	1238	11468	5500	7070	825	10395	660	413	1073	1073x1=1073.00	10452.00
		अप्रैल 06 से जून 06 तक	5625	2813	2025	1266	11729	5625	4163	844	10632	675	422	1097	1097x3=3291.00	
		जुलाई 06 से दिसम्बर 06	5625	2813	2447	1266	12151	5625	4444	844	10913	816	422	1238	1238x6=7428.00	
7	श्री प्रमोद कुमार स0 शि0	मार्च 06	4875	2438	1755	1097	10165	4875	3608	731	9214	585	366	951	951x2=1902.00	
		अप्रैल 06 से जून 06 तक	5000	2500	1800	1125	10425	5000	3700	750	9450	600	375	975	975x2=1950.00	
		जुलाई 06 से दिसम्बर 06	5000	2500	2175	1125	10800	5000	3950	750	9700	725	375	1100	1100x6=6600.00	

कुल योग– 83000.00

परिशिष्ट 'घ'

कंडिका '6' से सम्बन्धित

मद	अनु0 प्राप्ति वर्ष 2006–07	अनु0 प्राप्ति वर्ष 2007–2008	अनु0 प्राप्ति वर्ष 2008–2009	अनु0 प्राप्ति वर्ष 2009–2010	अनु0 प्राप्ति वर्ष 2010–2011	कुल प्राप्त अनुदान	अभि0
वेतन	542824.00	1196921.00	1155776.00	787676.00	935768.00	4618965.00	
भविष्य निधि	15940.00	132296.00	42100.00	60000.00	63300.00	313636.00	
योग	558767.00	1329217.00	1197876.00	847676.00	999068.00	4932601.00	